न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

प्रा0प0 संख्या :–43 / 2012

1. रामदेव पुत्र कजोडमल जाति बलाई निवासी ग्राम बगडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
(मृतक दौराने दावा)
1/1 चम्पा देवी पत्नि स्व0 रामदेव,
1/2 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामदेव,
1/3 सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामदेव
1/4 संजू कुमारी पुत्री स्व0 रामदेव उम्र 15 वर्ष करीब नाबालिक जरिये संरक्षिका माता चम्पा देवी
समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम बगडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 गिरधारी लाल,
2. राकेश कुमार पुत्र स्व0 गिरधारी लाल,
3. रमेश कुमार पुत्र स्व0 गिरधारी लाल,
4. गीता पुत्री स्व0 गिरधारी लाल,
5. माया पुत्री स्व0 गिरधारी लाल,
6. सन्तोष पुत्री स्व0 गिरधारी लाल,
7. जमना देवी पत्नि श्री गिरधरी लाल
8. रामावतार पुत्र स्व0 फुलचन्द उर्फ दूलाराम
9. सुशीला पुत्री स्व0 फुलचन्द उर्फ दूलाराम,
10. ममता पुत्री स्व0 फुलचन्द उर्फ दूलाराम,
11 उषा पुत्री स्व0 फुलचन्द उर्फ दूलाराम,
12. शान्ति देवी पत्नी स्व0 फुलचन्द उर्फ दूलाराम,
13. गणेशराम पुत्र स्व0 औमकार,
14. प्रेम पुत्री स्व0 औमकार,
15. ज्योती पुत्री स्व0 औमकार,
16. पूजा पुत्री स्व0 औमकार,
17. मनफूली पत्नी औमकार,
समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम बगडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. उप–पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अ0धारा 212 रा0 टि0 ऐक्ट, आर्डर 39 रुल 1 व 2 व धारा 151 जा0दी0

आदेश

दिनांकः– 27.08.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 39 रुल 1 व 2 व धारा 151 जा0दी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वादी के पिता स्व0 कजोडमल

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

व अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के दादाजी/श्वसुर स्व0 रूड़ाराम दोनों सगे भाई थे। जो स्व0 बीजा पुत्र जीवन बलाई के पुत्र थे। स्व0 रूड़ाराम के पुत्र गिरधारी, छगन, फूलचन्द एवं दूला, ओमप्रकाश, जगदीश हुये जिनके पिता रूड़ाराम के फौत होने पर खातेदारी तीनों पुत्र गिरधारी, फूलचन्द एवं दूला, ओमप्रकाश के नाम ही जमाबन्दी में अंकन है। प्रार्थी वादी के पिताजी व अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 के दादाजी एवं श्वसुर स्व0 रूड़ाराम दोनों सगे भाई थे, दोनों की पैतृक भूमियां ग्राम बगड़ी में स्थित है, जो काश्तकारी कानून लागू होने से पहले से दोनों सगे भाई पिता बीजा के जीवनकाल से काश्त करते चले आ रहे थे, जिन भूमियों के पुराने खसरा नम्बर निम्न है। खसरा नम्बर 263, 422, 423, 424 425, 445, 446 थे, जिसमें भूप्रबन्ध होने के बाद वर्तमान में नये खसरा नम्बर निम्न प्रकार से बने है खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 377 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.76 हैक्टर कुल किता 3 का कुल रकबा 1 57 हैक्टर, खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 155/662 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 156 रकबा 2.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 160/664 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 223/692 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 6 का कुल रकबा 3.72 हैक्टर, खाता संख्या 94 खसरा नम्बर 226/694 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्टर उक्त वर्णित कुल आराजीयात भूमि इस प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि है।

विवादग्रस्त भूमियों पर प्रार्थी वादी के पिता स्व0 कजोड़मल व अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के दादा/श्वसुर स्व0 रूड़ाराम दोनों सगे भाई थे और दोनों अपने पिता स्व0 बीजाराम के साथ काश्त करते थे, बीजाराम का देहान्त राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व ही दिनांक 04.10.1949 को हो गया था, उसके बाद दोनों भाई स्व0 रूड़ाराम व स्व0 कजोड़मल काश्त करते चले आ रहे थे व काश्तकारी कानून लागू होने के समय भी दोनों भाई काश्त करते थे एवं दोनों भाईयों का संयुक्त परिवार चला आ रहा था। प्रार्थी वादी के पिताजी स्व0 कजोड़मल एवं कजोड़मल का सगा भाई रूड़ाराम होने से काश्तकारी कानून लागू होते समय शामलाती काश्त करते चले आ रहे थे, परन्तु बड़ा भाई रूड़ाराम होने के कारण खातेदारी भूमि खाता संख्या 93, 94 में 1/7 हिस्सा एवं खाता संख्या 40 की भूमि सम्पूर्ण रूड़ाराम के नाम अंकित हो गयी, जबकि मौके पर दोनों भाई काश्त करते चले आ रहे थे, व उनका देहान्त होने के बाद प्रार्थी वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थी वादी के पिताजी स्व0 कजोड़मल व उसके भाई रूड़ाराम ने दोनों भाई अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाहमी बटवारा कर बा-जोत, काश्त करते चलते आ

सहायक कलेक्टर
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

रहे थे, उसी के अनुसार आज भी अलग अगल काश्त करते चले आ रहे है, पूर्व में दोनों भाईयों ने कुआ बनवाया था, जिसके खसरा नम्बर 424 है, इसके पूर्व में लाईट नहीं थी, जिससे यह साबित होता है कि विवादग्रस्त भूमियों की सिंचाई का स्त्रोत खसरा नम्बर 424 में बने चाह से ही होता रहा, बाद में बोरिंग बना लिया, अब बारिंग में विद्युत सम्बन्ध प्राप्त कर फसल की सिंचाई करते चले आ रहे है। विवादित भूमि को मौके पर बाहमी बंटवारा होने के बाद प्रार्थी वादी के हक हिस्से में आये भाग पर पुख्ता मकानात बनाकर आवास निवास करते चला आ रहा है व काश्त भूमि में काश्त करते चला आ रहा है, पुख्ता मकान में प्रार्थी वादी ने घरेलू लाईट कनेक्शन प्राप्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है। जिससे प्रदर्शित होता है कि प्रार्थी वादी अपने हक व हिस्से की काश्त भूमि पर लगातार साधिकार काबिज चला आ रहा है।

प्रार्थी वादी व अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 की पैतृक भूमियां रही है जिस पर राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व से ही काबिज काश्त चला आ रहा है व प्रार्थी वादी के पिताजी स्व0 कजोडमल व अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 के दादाजी व श्वसवुर स्व0 रुडाराम दोनों सगे भाई थे और दोनों संयुक्त रुप से काश्त करते चले आ रहे थे, दोनों भाईयों ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर उपयोग उपभोग लगातार साधिकार करते चले आ रहे है, उसके बाद अब प्रार्थी वादी व अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे है, चूंकि अप्रार्थी प्रतिवादी के दादाजी/श्वसुर स्व0 रुडाराम परिवार में मुखिया के रुप में बडे होने के कारण उन्होने भूमि अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली, जबकि रुडाराम को दोनों भाईयों के नाम खातेदारी करवानी चाहिए थी।

उक्त भूमि विवादग्रस्त में अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि खाता संख्या 93, 94 में 1/7 हिस्से का 1/2 भाग यानि 1/14 हिस्सा एवं खाता संख्या 40 में 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को पिछले काफी समय से कहता आ रहा है, अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 हमेशा यही आश्वासन देते आ रहे है कि तुम काबिज हो, काश्त करते रहो, आपका हिस्सा आपके नाम दर्ज करवा देंगे। लेकिन हाल में दिनांक 29.02.2012 को अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 ने प्राथी वादी को उसके हिस्सा की खातेदारी नाम दर्ज करवाने से साफ इन्कार कर दिया व धमकी दी कि कोई भी प्रकार से तुम्हारे नाम भूमि दर्ज नहीं करवायेंगे, जिस कारण प्रार्थी वादी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी वादी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वह भूमि विवादग्रस्त में अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 के नाम से दर्ज भूमि खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 6 का रकबा 3.72 हैक्टर एवं खाता संख्या 94 का खसरा नम्बर 226/694 रकबा 0.06 हैक्टर के 1/7 हिस्से में से प्रार्थी वादी को 1/2 भाग यानि 1/14 हिस्सा एवं खाता संख्या 40 के खसरा किता 3 का रकबा 1.57 हैक्टर भूमि सम्पूर्ण में से प्रार्थी वादी को 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी प्रार्थी वादी अपने नाम करवाने व खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थी वादी को पूर्ण हक व अधिकार हांसिल है कि वह अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण जो जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवाये कि अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 भूमि विवादग्रस्त के किसी भी हिस्से भू–भाग का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करे, ना ही प्रार्थी वादी को उसके हक व हिस्से एवं कब्जे से बेदखल करे, ना ही प्रार्थी वादी के उपयोग उपभोग करने में रुकावट करें, ना ही फसल बुवाई, कटाई करने में, सिंचाई करने में व्यवधान कारित करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें व अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 18 उक्त आराजी के किसी भी भूमि भाग का कोई विलेख पत्र या विक्रय पत्र आदि तसदीक नहीं करे व अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 19 बिना तकासमा के रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करे, ना अन्य से करवायें। यदि अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त को बेचान, हस्तान्तरण कर देंगे एवं प्रार्थी वादी को उसकी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देंगे। जिससे प्रार्थी वादी के साम्पतिक अधिकारें पर कुठाराघात होगा व प्रार्थी वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति रुपयों में किया जाना कतई सम्भव नहीं हो सकेगा।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मिन जवाबदाता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 के पूर्वज रुडा व प्रार्थी के पिता कभी भी सगे भाई नही रहे है प्रार्थी के पिता कजोडमल अप्रार्थीगण के पूर्वज के कुटुम्ब के भाई है। तथा बींजाराम के साथ प्रार्थी के पिता कजोडमल द्वारा कभी काश्त नहीं की है और ना ही बींजाराम का देहान्त राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व दिनांक 04.10.1949 को नही हुआ तथा प्रार्थी के पिता एवं मिन जवाबदाता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 के रुडा व कजोडमल कभी भी साथ साथ काश्त नही की। उक्त तथाकथित विवादग्रस्त आराजीयात् मिन जवाबदाता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 के एकल मात्र स्वामित्व की भूमि रही है तथा उक्त कथाकथित विवादग्रस्त आराजीयात् पर प्रार्थी की कभी कोई काश्त किसी भी इंच व भू भाग पर नही है केवल मात्र मिन जवाबदाता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 ही पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहा है और

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

समय समय पर लगान सरकारी राज्य सरकार को अदा करते रहे है और उक्त भूमि को उपजाउ बनाकर उपयोग उपभोग में लेकर लाभ उठाते आ रहे है। प्रार्थी के मद में बदनियति आ गई है, जिससे मिन जवाबदाता अप्रार्थीगण की भूमि को हडपने की कुचेष्ठा से यह झूठा व काल्पनिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के पिता स्व0 कजोडमल व उसके भाई रुडाराम ने कभी मौके पर बंटवारा करके काश्त नहीं किया, क्योंकि उक्त तथाकथित विवादग्रस्त आराजीयात् मिन जवाबदाता अप्रार्थीगण के पिता के एकल मात्र की रही है तथा मिन जवाबदाता अप्रार्थीगण के पिता ने खसरा नम्बर 424 में बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन अपने नाम से लगवाकर सिंचाई बुवाई करते आ रहे है, प्रार्थी द्वारा जबस्न ही अपने पिता को उक्त भूमि में हिस्सेदार बनाने की नियत से मिथ्या एवं काल्पनिक प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। तथाकथित भूमि अप्रार्थीगण की पैत्रिक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसको मिन जवाबदाता अप्रार्थीगण की प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग मे लेवे का कानूनी अधिकारी प्राप्त है। प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता कभी भी सगे भाई नही रहे है और ना ही प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता के पूर्वज ही एक ही दादा परदादा की सन्ताने थी प्रार्थी के पिता कजोडमल के पिता का इन्तकाल पूर्व में ही जागीर रिज्यूमशन के पूर्व ही हो चुका था तो प्रार्थी को किस प्रकार से अपने पिता स्व0 बींजाराम का कुर्सीनामा रिकार्ड पर ला सकता है, प्रार्थना पत्र में वर्णित वंशवली पूर्णतया मिथ्या एवं काल्पनिक हैं जो कि गलत रुप से अंकित करके अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को हडपने की कुचेष्ठा से गलत रुप से वंशावली अंकित करने के लिए यह झूठा एवं बेबुनियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सरसरी तोर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है तथा काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व ही बींजा फौत हो गया था। बींजा के दो पुत्र रुडाराम व कजोड थे। रुडाराम व कजोड की मृत्यु हो चुकी है। दौराने बंदोबस्त रुडा के अकेले के नाम से ही खातेदारी दर्ज हो गयी जबकि कजोड के नाम भी खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी। प्रार्थी/वादी ने पुश्तैनी भूमि में घोषणा दुरुस्ती, इन्द्राज का वाद पेश किया है। प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

वकील अप्रार्थी ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि बींजा के नाम से नहीं रही है, रुडाराम के नाम से खातेदारी दर्ज

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

रही है। प्रार्थी/वादी का किसी प्रकार से हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थी/वादी का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जाने बाबत् निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया गया। प्रार्थी/वादी का वाद घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का है जिसमें प्रार्थी के अधिकार की घोषणा होनी है तथा प्रार्थना पत्र व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व सजरा खानदान से विवादित भूमि पैतृक भूमि होना पाया जाता है, जिससे प्रार्थी/वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता न बढे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को ता फैसला मूल वाद विवादित भूमि आराजी खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 377 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 382 रकवा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.76 हैक्टर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.57 हेक्टर, खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 155/662 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 156 रकबा 2.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 160/664 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 223/692 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 6 का कुल रकबा 3.72 हैक्टर, खाता संख्या 94 खसरा नम्बर 226/694 रकवा 0.06 हैक्टर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्टर वाके ग्राम बगडी तहसील चौमूं, जिला जयपुर की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ रहे।

आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले नयायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.26 12:36:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: